कार्यालय नगर निगम, गोरखपुर।

सूचना

नगर निगम, गोरखपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेड्स (विवरण Website पर उपलब्ध) पर अप्रेटिस के लिये गोरखपुर नगर निगम परिक्षेत्र हेतु पात्र उम्मिदवारों से **http://apprenticeshipindia.org** वेबसाईट पर दिनांकः 23.09.2021 से दिनांकः 30.09.2021 (रात्रि 23:59) बजे तक आन–लाईन आवदेन आमंत्रित किये जाते है।

22/9/2021

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नगर निगम, गोरखपुर

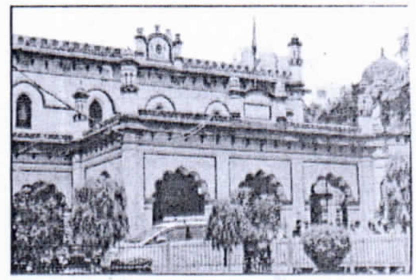

पत्रांकः 280 / न0आ0 / अप्रेटिस / न0नि0गो0 / 2021–22, दिनांकः 22 सितम्बर .2021

सूचना

विषयः वर्ष 2021–22 के लिये नगर निगम, गोरखपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं यथा संशोधित 2014 के अन्तर्गत शिशिक्षुओ का चयन (Engagement)।

1– नगर निगम, गोरखपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित पद नामित व्यवसायों पर अप्रेटिस के रूप में चयन (Engagment) के लिये गोरखपुर नगर निगम परिक्षेत्र हेतु पात्र उम्मिदवारों से **http://apprenticeshipindia.org** वेबसाईट पर दिनांकः 23.09.2021 से दिनांकः 30.09.2021 (रात्रि 23:59) बजे तक आन–लाईन आवदेन आमंत्रित किये जाते है।

अ– रिक्तियां / पदो की सं0 (व्यवसाय के अनुसार):–

Sr No	Trade	Gen	EWS	OBC	SC	ST	Total
1	Steno Hindi	8	2	6	4	0	20
2	Electrician	40	10	27	21	2	100
3	Fitter	28	7	19	14	2	70
4	Wireman	10	3	6	5	1	25
5	Plumber	56	14	38	29	3	140
6	Draughtman Civil	4	1	3	2	0	10
7	Mechanic Motor Vehicle	16	4	11	8	1	40
8	Computer Opreator & Programming Assistant (COPA)	8	2	6	4	0	20
9	Mechanic Diesel / Tractor Mechanic	10	3	6	5	1	25
10	Welder	9	2	6	4	0	21
11	Painter General	2	0	2	1	0	5
12	Refrigrator and Air Condition Mech.	4	1	3	2	0	10
13	Mechanic Auto Body Repair	2	0	2	1	0	5
14	Mechanic Electronic	4	1	3	2	0	10
	Total:-	201	50	138	102	10	**501**

2– शैक्षिक / तकनीकी योग्यता:–

अ– अभ्यर्थी को 10+2 के अन्तर्गत 10वीं (मैट्रिक / हाई–स्कूल अथवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

ब– अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में आई0टी0आई0 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

3– आयु सीमा:–

अ– अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई–2021 को 15 वर्ष से कम नही होनी चाहिये।

4– अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं वृत्तिका (स्टाईपेंड):–

चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में (Engage) रखे जायेगें तथा उन्हें केवल एक वर्ष की अवधि के लिये शिशिक्षुता / अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिये भेजा जायेगा। उन्हें अप्रेंटिसशिप पूर्ण कर लेने के बाद प्रशिक्षण(Engagment) समाप्त हो जायेगा। शिशुक्षता / अप्रेटिस अवधि में वृत्तिका (Stipend) के रूप में प्रतिमाह रूपया 7,700–00 (रूपया सात हजार सात सौ मात्र) देय होगा।

5– चयन प्रकिया:–

वैध आवेदकों के अन्तिम चयन हेतु चयन समिति निम्नलिखित प्रकिया के आधार पर विचार करेगी–

(1)– आई0टी0आई0 (एन0सी0वी0टी0 / एस0सी0वी0टी0) के अन्तिम परीक्षा के प्राप्तांक–100 अंक

(2)– साक्षात्कार– 20 अंक

6– चिकित्सा परीक्षण:–

चयनित उम्मिदवारों को अप्रेटिंस अधिनियम 1961 तथा परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा–4 (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रमाण–पत्र में दस्तावेज सत्यापन (सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन) के समय चिकित्सा प्रमाण–पत्र लाना अनिवार्य होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केन्द्रीय / राज्य शासन के हास्पिटल के डाक्टर (राजपत्रित) से हस्ताक्षर होने चाहिये।

7— **संविदाः—**

चयनित उम्मिदवारों को अनुबंध देना होगा या यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिशिक्षुता के अनुबंध में पालक/अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना होगा।

8— **रोजगार की स्वीकृति का प्रस्तावः—**

प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिये नगर निगम, गोरखपुर बाध्य नही होगा न ही प्रशिक्षु नगर निगम द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार स्वीकार करने के लिये बाध्य होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वें अप्रेटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भली—भांती जानकारी प्राप्त कर लें।

9— **आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथिः—**

पूर्ण रूप से भरे गये आन—लाईन आवेदन को केवल आन—लाईन प्रकिया से 23.09.2021 से दिनांकः 30.09.2021 (रात्रि 23:59) बजे तक ही स्वीकार किया जायेगा, इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नही किया जायेगा। कृपया आवेदन की फिजिकल प्रति (हार्ड कापी) इस कार्यालय को न भेजे।

10— **अभ्यर्थी के लिये सामान्य निर्देशः—**

क— आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही करें, वेब—साईट का पता— **http://apprenticeshipindia.org.**

ख— यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यू0एस0 समुदाय से हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा अद्यतन प्रमाणपत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

ग— आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाईनिंग के पहले आने—जाने का किसी भी प्रकार का टी0ए0/डी0ए0 नही दिया जायेगा।

घ— अभ्यर्थी को सत्यापन हेतु अपेक्षित मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल प्रमाणपत्र को प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनकी उम्मिदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

ङ.– यदि निगम को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत/जाली अथवा झूठा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है तो नगर निगम किसी भी चरण में चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।

च– अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति–अस्वीकृति पात्रता सम्बन्धित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु नगर निगम प्रशासन का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

छ– यदि पोर्टल पर ई0डब्ल्यू0एस0 विकल्प उपलब्ध नही है तो अपने वास्तविक वर्ग जैसे Gen./OBC/SC/ST से पोर्टल पर आवेदन करे एवं ई0डब्ल्यू0एस0 प्रमाण–पत्र को भौतिक रूप से इस कार्यालय को भेजे/जमा करें।

11– सहायता हेतु इस कार्यालय के दूरभाष सं0–7311180390 पर सम्पर्क किया जा सकती है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गोरखपुर।

प्रतिलिपिः

1– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ
2– आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को सादर अवलोकनार्थ।
3– जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर।
4– क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, गोरखपुर।
5– जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर से अनुरोध है कि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन सुनिश्चित करें।

22/9/2021

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गोरखपुर।